

नियम एवं शर्त :-

01. निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि 29.09.2020 को शाम 05.00 बजे तक निर्धारित है।
02. निविदा दो लिफाफा (Technical & Financial) में मोहरबंद लिफाफे में जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक निर्धारित है। (विवरण कंडिका 22 में है)
03. निविदा खोले जाने की तिथि जमा कियेजाने वाले अंतिम तिथि के एक घंटे उपरांत 30.09.2020 को शाम 04.00 बजे निर्धारित है।
04. निविदाकर्ता, एक फर्म, एक संस्था या एक कंपनी के रूप में निविदा में सम्मिलित हो सकता है, जिसमें जीएसटी नम्बर लिया जाना अनिवार्य होगा।
05. सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के एक घंटा उपरांत खोला जायेगा, यदि किसी कारण से निविदाकर्ता निविदा खोले जाने के समय उपस्थित नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
06. निविदा केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री के माध्यम से प्रेशित किये जाने पर निविदा स्वीकार किया जायेगा, एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
07. निविदा की दर 01 वर्ष 31 मार्च 2021 तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार निविदा की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
08. समस्त प्रिंटिंग एवं पेटिंग संबंधी कार्य का दर 1X1 ईस्वायर फिट में होना चाहिये।
09. प्रिंटिंग संबंधी कार्य समयानुरूप कार्य की आवश्यकता के आधार पर होगा।
10. अन्य प्रिंटिंग संबंधी कार्य जो आवश्यकता पड़ने पर चाही गयी कार्य के अनुरूप अनुबंधित फर्म/व्यक्ति के माध्यम से ही कार्य संपन्न किया जावेगा।
11. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि 500/- (अक्षरी पांच सौ रुपये मात्र) का डी.डी. (डीमांड ड्राफ्ट) जो की राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं "District Health Society Bemetara" के नाम से देय होगा, अदा कर कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे, जो कि राशि वापसी देय नहीं होगा।
12. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ रुपये 25000.00 (अक्षरी पच्चीस हजार रुपये मात्र) का डी.डी. (डीमांड ड्राफ्ट) जो की राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं "District Health Society Bemetara" के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है। जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा एवं प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा।
13. निविदाकर्ता को पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और संविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
15. संबंधित कार्य का देयक तीन प्रतियों में फोटोग्राफ के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
16. देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक या PFMS के माध्यम से टैक्स कटौती के उपरांत किया जावेगा। भुगतान शासन से समय-समय पर प्राप्त निर्देश एवं आबंटन के अनुसार नियमानुसार किया जावेगा जो कि सफल निविदाकर्ता का मान्य होगा।
17. शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित कार्य से हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. निविदा प्रक्रिया निरस्त किये जाने का अधिकार निविदा के संबंध में गठित कय समिति जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा को होगा।
19. चयन प्रक्रिया LI प्रकृति आधार पर की जावेगी।
20. अनुबंध नवीनीकरण की दशा में EMD राशि को आगामी वर्षो हेतु मान्य किया जावेगा साथ ही कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में पुनः अगामी वर्ष हेतु अनुबंध किया जा सकता है।
21. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।
22. परिशिष्ट- (अ एवं ब) तथा अन्य दस्तावेज तकनीकी लिफाफे पे संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे पर तकनीकी बिड अंकित किया जावें एवं परिशिष्ट-(स) वित्तीय दर लिफाफे को अलग से संलग्न किया जाना अनिवार्य है, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में दिनांक 30.09.2020 को समय दोपहर 03:00 बजे जमा किया जाना अनिवार्य है। उचित परिधि अनुसार निविदा आवेदन नहीं किये जाने पर निविदा आवेदन अमान्य किया जावेगा।



23. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में ही वित्तीय निविदा खोला जावेगा।
24. उक्त निविदा की वैधता वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 तक मान्य होगी। कार्य संतोशजनक होने की स्थिति में पुनः अगामी वर्ष हेतु अनुबंध किया जा सकता है।
25. निविदाकर्ता को GST (Goods & Service Tax) में पंजिकृत होना अनिवार्य है GST पंजियन की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. आपात स्थिति में न्यूनतम दर पर किसी भी फर्म/संस्था/कंपनी से कार्य लिया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
27. निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया जा सकता है।
28. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान/कंपनी की होगी तथा अनुपलब्धता/विलम्ब/असंतुष्ट की स्थिति में फर्म/संस्थान/कंपनी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
29. निविदा शर्तों में परिवर्तन की स्थिति में विसंगति की स्थिति में एवं न्यायलयीन प्रकरण की स्थिति में निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा के पास सुरक्षित रहेगा।
30. निविदाकर्ता व्यक्तिगत छत्तीसगढ़ के निवासी हो/निविदाकर्ता का कार्यालय जिला/राज्य में स्थापित हो इस संबंध में अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

Shehansu
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
(A) जिला बेमेतरा, (छ.ग.)